



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 145]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 21, 2013/फाल्गुन 30, 1934

No. 145]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 21, 2013/PHALGUNA 30, 1934

शहरी विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2013

सा.का.नि. 180(अ).—दिल्ली विकास प्राधिकरण (नजूल भूमि विकास का निपटान)नियम, 1981, के नियम 2(i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार विभिन्न प्रयोगों / स्थलों के लिए पूर्व निर्धारित प्रभार योग्य दरों को एतद्वारा अधिसूचित करती है:—

क) नरेला के लिएभूमि की श्रेणी

2011-12 के लिए अनुमोदित पूर्व  
निर्धारित दरें (प्रति वर्ग मी०)

1. सीजीएचएस के लिए भूमि

9435.00 रु०

2. वैकल्पिक भूखण्ड

7848.00 रु०

(आंतरिक विकास की लागत एवं उपयोग  
और अधिभोग प्रभार शामिल हैं)

3. डीडीए आवासीय स्कीम

(क) एसएफएस

9435.00 रु०

(ख) एमआईजी

7863.00 रु०

(ग) एलआईजी

4718.00 रु०

(1)

(घ) ईडब्ल्यूएस

3145.00 रु०

(फर्रुखी की बिक्री लागत निकालने समय  
आंतरिक विकास लागत भी जोड़ी जाए)

68.90. लाख रु० प्रति एकड़

(आंतरिक विकास की दरों को छोड़कर जो  
एमसीडी के स्वयं विभाग द्वारा निर्धारित  
की जाती हैं)

4. जे.जे. स्वतंत्र (पुनर्वास)

ख. प्लास्टिक बाजार, टिकी कलां के लिए

भूमि की श्रेणी

वर्ष 2011-12 के भूखण्डों के आबंटन  
हेतु अर्जमादित पूर्व निर्धारित दरें ( प्रति  
वर्ग मी०)

क्र०सं०	उपयोग	भूखण्ड का क्षेत्र (वर्ग मी०)	वर्ग 2011-12 के लिए प्रस्तावित पीडीआर(रु० प्रति वर्ग मी० में)
1	वाणिज्यिक भूखण्ड कारोबार	25-53.50	15901.00
2	वाणिज्यिक भूखण्ड कारोबार	124.00	19080.00
3	वाणिज्यिक भूखण्ड कारोबार	131.75	19080.00
4	वाटर हाऊसिंग	300.00	19080.00
5	छाटे उपयोग	300.00	11927.00
6	छाटे उपयोग	495.00	13914.00

2. उपर्युक्त दरों में उपयोग और अधिभोग प्रभार शामिल हैं।

3. रीहिली, चरण-IV और V के लिए

भूमि की श्रेणी

वर्ष 2011-12 के लिए अर्जमादित पूर्व  
निर्धारित दरें ( प्रति वर्ग मी०)

1. रीहिली भूखण्ड

(क) ईडब्ल्यूएस 26 वर्ग मी०

रु० 7680.00

- (ख) एलआईजी 32 वर्ग मी०  
(ग) एमआईजी 60 वर्ग मी०

रु० 9720.00

रु० 15842.00

(आंतरिक विकास की लागत एवं उपयोग और अधिभोग प्रभार शामिल हैं)

## 2. आवासीय स्कीम

(क) एसएफएस

रु० 12244.00

(ख) एमआईजी

रु० 10203.00

(ग) एलआईजी

रु० 6122.00

(घ) ईडब्ल्यूएस

रु० 4082.00

(प्लॉटों की बिक्री लागत निकालते वक्त आंतरिक विकास लागत भी जोड़ी जाए।)

## 3. वैकल्पिक भूखण्ड

रु० 9720.00

(आंतरिक विकास की लागत एवं उपयोग और अधिभोग प्रभार शामिल हैं)

## 4. सीजीएचएस के लिए भूमि

रु० 12244.00

## 5. जे.जे. स्क्वेटर्स (पुनर्वास)

68.90 लाख रु० प्रति एकड़

(आंतरिक विकास की दरों को छोड़कर जो एमसीडी के स्लम विभाग द्वारा निर्धारित की जानी हैं।)

उपर्युक्त दरें वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए प्रभावी हैं।

[फा. सं. के-20014/1/2012-डीडी-III (IIए)]

राहुल रनबीर सिंह, अवर सचिव

(ख) एलआईजी 32 वर्ग मी०	रु० 9720.00
(ग) एमआईजी 60 वर्ग मी०	रु० 15842.00
	(आंतरिक विकास की लागत एवं उपयोग और अधिभोग प्रभार शामिल हैं)
2. आवासीय स्कीम	
(क) एसएफएस	रु० 12244.00
(ख) एमआईजी	रु० 10203.00
(ग) एलआईजी	रु० 6122.00
(घ) ईडब्ल्यूएस	रु० 4082.00
	(प्लॉटों की बिक्री लागत निकालते वक्त आंतरिक विकास लागत भी जोड़ी जाए।)
3. वैकल्पिक भूखण्ड	
	रु० 9720.00
	(आंतरिक विकास की लागत एवं उपयोग और अधिभोग प्रभार शामिल हैं)
4. सीजीएचएस के लिए भूमि	
5. जे.जे. स्ववेटर्स (पुनर्वास)	रु० 12244.00
	68.90 लाख रु० प्रति एकड़
	(आंतरिक विकास की दरों को छोड़कर जो एमसीडी के स्लम विभाग द्वारा निर्धारित की जानी हैं।)

उपर्युक्त दरें वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए प्रभावी हैं।

[फा. सं. के-20014/1/2012-डीडी-III (IIए)]

राहुल रनबीर सिंह, अवर सचिव

45

**MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT  
NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st March, 2013

**G.S.R. 180(E).**— In exercise of powers conferred by Rule 2(I) of the Delhi Development Authority (Disposal of Developed Nazul Land) Rules, 1981, the Central Government hereby notify the pre-determined rates chargeable for different uses/ locations as under:-

- A. For Narela**
- | <u>Category of Land</u>             | <u>Approved pre-determined rates for 2011-12(per sq. mtr.)</u>  |
|-------------------------------------|---|
| 1. Land for CGHS                    | Rs. 9435.00   |
| 2. Alternative Plots                | Rs. 7848.00<br>(inclusive of cost of internal development and for use and occupation charges)                             |
| 3. DDA Housing Schemes              | Rs. 9435.00   |
| (a) SFS                             | Rs. 7863.00   |
| (b) MIG                             | Rs. 4718.00   |
| (c) LIG                             | Rs. 3145.00   |
| (d) EWS                             | (cost of internal development to be added while working out the disposal cost of flats)                                   |
| 4. J.J. Squatters<br>(Resettlement) | Rs. 68.90 lakh per acre<br>(excluding rates of internal development which is to be carried out by the Slum Deptt. of MCD) |

**B. For Plastic Bazar, Tikri Kalan**

<u>Category of Land</u>	<u>Approved pre-determined rates for allotment of plots for the year 2011-12(per sq. mtr.)</u>
-------------------------	--

S.No.	Use	Area of plot (Sq. mtr.)	Proposed PDR for 2011-12 (in Rs. Per sqm.)
1.	Commercial Low Turnover	25-53.50	15901.00
2.	Commercial Low Turnover	124.00	19080.00
3.	Commercial Low Turnover	131.75	19080.00
4.	Water Housing	300.00	19080.00
5.	Light Industry	300.00	11927.00
6.	Light Industry	495.00	13914.00

76

2. The above rates are inclusive of use and occupation charges.

**C. For Rohini, Phase IV & V**

<u>Category of Land</u>	<u>Approved pre-determined rates for 2011-12(per sq. mtr.)</u>
1. Rohini Plots	
(a) EWS 26 sqm.	Rs.7680.00
(b) LIG 32 sqm.	Rs. 9720.00
(c) MIG 60 sqm.	Rs. 15842.00
	(inclusive of cost of internal development and for use and occupation charges)
2. Housing Scheme	
(a) SFS	Rs. 12244.00
(b) MIG	Rs. 10203.00
(c) LIG	Rs. 6122.00
(d) EWS	Rs. 4082.00
	(Cost of internal development to be added while working out the disposal cost of flats)
3. Alternative Plots	Rs. 9720.00
	(inclusive of cost of internal development and for use and occupation charges)
4. Land for CGHS	Rs. 12244.00
5. J.J. Squatters (Resettlement)	Rs. 68.90 lakh per acre
	(excluding rates of internal development which is to be carried out by the slum Deptt. of MCD)

The above rates are effective for the Financial Year 2011-12.

[F. No. K-20014/01/2012-DD-III (IIA)]

RAHUL RANBIR SINGH, Under Secy.

1190 GI/13-2